

झारखण्ड लोक सेवा आयोग
सर्कुलर रोड, राँची – 834001

प्रेस विज्ञप्ति

चिकित्सा पदाधिकारी (विज्ञापन संख्या-02/2020) के पदों पर नियमित नियुक्ति परीक्षा के संबंध में आवश्यक सूचना।

- चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु प्रकाशित (विज्ञापन संख्या-02/2020) के आलोक में अभिलेख सत्यापन एवं साक्षात्कार कार्यक्रम दिनांक-04.08.2020 से निर्धारित है।
- उक्त विज्ञापन से आच्छादित राज्य से बाहर के अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन/साक्षात्कार कार्यक्रम में सम्मिलित होने हेतु गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग) झारखण्ड सरकार के पत्र संख्या-2617 दिनांक-31.07.2020 के द्वारा 14 (चौदह) दिनों के Home Quarantine की अनिवार्य शर्तों से छूट प्रदान की गई है।
 - अभिलेख सत्यापन/साक्षात्कार कार्यक्रम हेतु निर्धारित समयानुसार अभ्यर्थियों को आयोग परिसर में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी। सभी अभ्यर्थी Covid-19 को देखते हुए सरकार द्वारा निर्गत सुरक्षा संबंधी दिशा-निर्देश यथा मास्क पहनना, हैंडगलप्स पहनना, हैंडसेनेटाइज करना एवं सामाजिक दूरी आदि का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
 - पूर्व में निर्गत प्रेस विज्ञप्ति ज्ञापांक-1424 दिनांक-16.07.2020 की सभी शर्तें यथावत रहेंगे।
 - यह प्रेस विज्ञप्ति एवं गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग) झारखण्ड सरकार द्वारा निर्गत पत्र संख्या-2617 दिनांक-31.07.2020 आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर भी उपलब्ध है।

ह0/-

सचिव,

झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची।

झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग
(आपदा प्रबंधन प्रभाग)

प्रेषक,

मनीष तिवारी, भा०व०स०,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग,
झारखण्ड, राँची

सचिव,
झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची।

राँची, दिनांक 31/7/2020

विषय:- चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या-02/2020 के आलोक में साक्षात्कार आयोजित करने के संबंध में।

प्रसंग:- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक-475/HS, दिनांक-24.07.2020

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या-02/2020 से आच्छादित राज्य से बाहर के अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन/साक्षात्कार हेतु झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम में सम्मिलित होने हेतु 14 दिनों के Home Quarantine की अनिवार्य शर्त से छूट प्रदान की जाती है।

विश्वासभाजन

Handwritten Signature
31/7/2020

सरकार के संयुक्त सचिव।